10

राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान [struck-through text] (म०प्र०)

प्र०क्र० / 15—16 / नि० निग — 2648 — II

नीलमसिंह पुत्र श्री महाराजसिंह रघुवंशी आयु
वर्ष व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम लुकवास
तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (म०प्र०)
..................आवेदक

दिनांक 29.7.16 को
श्री आर० एल० श्रीवा
काउ० द्वारा प्रस्तुत/
29-7-16

बनाम

1—गोपाल कृष्ण पुत्र श्री ज्ञानीचंद वैश्य निवासी
ग्राम लुकवासा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी

2—राजस्व निरीक्षण वृत्त—2 लुकवासा तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी (म०प्र०)
..........अनावेदक

आर. एल. श्रीवा
ग्वालियर
29-7-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार कोलारस के प्र०क्र० 82 / 15—16 / अ—12 दिनांक 05.07.2016 ।

श्रीमान महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी अवधि भीतर निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1— यहकि आवेदक एवं अनावेदक क्र० 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम लुकवासा में सर्वे न० 908 907 एवं 909 लगी हुई है। जिसका ... में सहमति बटवारा तहसीलदार कोलारस के प्र०क्र० 17 / 04—05 / अ—27 दिनांक 27.06.2005 को हुआ था । इसके पश्चात बटवारे अनुसार आवेदक अपनी भूमि पर काबिज है किन्तु अनावेदक क्र० 1 द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना दिनांक 24.06.2016 को अनावेदक क्र० 2 से सीमांकन करा लिया जिसकी जानकारी आवेदक को प्राप्त होने पर दिनांक 05.07.2016 को तहसीलदार महोदय के समक्ष आपत्ति पेश की जिसको सुने बगैर दिनांक 05.07.2016 को

नीलम सिंह

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2648–दो / 2016 जिला–शिवपुरी

नीलमसिंह विरूद्ध गोपाल व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
03–06–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी तहसीलदार कोलारस, जिला–शिवपुरी के प्र.क्र. 82 / 2015–16 / अ–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला–शिवपुरी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23–07–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य